

प्रशुल्क आयोग
प्रतिलोम (इन्वर्टिड) द्वारा
व्यक्तिगत शुल्क संरचना
पर
अध्ययन की रूपरेखा

पृष्ठभूमि

- अनुरोधकर्ता
 - एन एम सी सी
 - भारी उद्योग विभाग
- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एन एम पी) के तहत अधिदेश- घरेलू विनिर्माण पर प्रभाव
 - एफ टी ए/आर टी ए पैरा 1.22 का
 - शुल्क संरचना पैरा 10 का
- एन एम पी के पैरा 7.1 के अनुसार केन्द्र बिन्दु क्षेत्र
 - सौर ऊर्जा
 - आई एवं इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर
 - पूंजीगत वस्तुएं
 - वस्त्र उद्योग
 - चिकित्सा उपकरण
- प्रतिलोम उद्देश्य (इन्वर्टेड)/ शुल्क संरचना
- घरेलू विनिर्माण पर प्रभाव
 - आयात/निर्यात का
 - एफ टी ए/आर टी ए का
- व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता
- अपेक्षित सीमा शुल्क में परिवर्तन
- सीमा शुल्क संरचना में परिवर्तन का राजस्व प्रभाव

कार्य पद्धति

- विचार-विमर्श
 - शीर्ष संस्था- फिक्की, सी आई आई, एसोचैम
 - उद्योग विशिष्ट संस्थाएं
- इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रानिकी आई ई ई एम ए, आई एस ए, ई एल सी आई एन ए (एलिसना)
- पूंजीगत वस्तुएं-टी एम एम ए, आई ए आई एम टी ए, आई पी पी ए एम एम ए, पी एम एम ए, टी एम ए, एस आई ए एम, आई ई सी ए एल
- सूचना प्रौद्योगिकी- एम ए आई टी
- ऊर्जा(एस ई एस आई, मेल
- रबड़ एवं टायर(ए टी एम ए, ए आई आर आई ए
- रासयनिक- सी पी एम ए
- पोत निर्माण- एस ए आई
- भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग संघ
- आंकड़े एकत्रीकरण
 - सार्वजनिक रूप से उपलब्ध
- वाणिज्य मंत्रालय
- डी जी एफ टी (विदेश व्यापार महानिदेशालय)
- सी बी ई सी (केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)
- यू एन कामट्रेड
- कार्य समूह रिपोर्ट (12वीं पंचवर्षीय योजना)
- विश्व व्यापार संगठन सचिवालय
- वेब सर्च
 - उद्योग से
- प्रश्नावली-लागत, आर्थिक, तकनीकी
- दौरे- आंकड़े/आंकड़ा अंतर एकत्रीकरण/एच एस कोड का समायोजन

कार्य पद्धति

- विश्लेषण
 - लागत
- वित्तीय विश्लेषण
- उत्पादन लागत एवं लाभांश
 - तकनीकी
- उद्योग संरचना, क्षमता एवं क्षमता उपयोग
- विनिर्माण प्रौद्योगिकी/प्रक्रिया
- आयातित कच्ची सामग्री की नाजुक स्थिति
- विश्लेषण
 - आर्थिक
- आयात एवं निर्यात
- एफ टी ए/आर टी ए देशों के साथ व्यापार
- आयात शुल्क संरचना
- एफ टी ए के तहत वरीयता शुल्क संरचना
- साधन
 - प्रभावी सुरक्षा दर
- व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक
- व्यापार की शर्तें

साधन

- ई आर पी = (वी ए टी - वी ए) / वी ए एफ

जिसमें ई आर पी से तात्पर्य प्रभावी सुरक्षा दर है।

वी ए टी से तात्पर्य प्रशुल्क सहित मूल्य वृद्धि

वी ए एफ से तात्पर्य मुक्त व्यापार सहित मूल्य वृद्धि

मूल्य वृद्धि = विक्रय मूल्य- आयातित कच्ची सामग्री/संघटक लागत की

- टी सी आई - (ई जे-आई जे)/ (ई जे = आई जे)

जिसमें टी सी आई से तात्पर्य व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक है।

ई जे से तात्पर्य किसी देश के उत्पाद का निर्यात है।

और आई जे से तात्पर्य किसी देश के उत्पाद का आयात है।

- टी ओ टी = (एक्स पी/एम पी)* 100

जिसमें टी ओ टी से तात्पर्य व्यापार की शर्तें हैं।

एक्स पी से तात्पर्य निर्यात का यूनिट मूल्य है (अथवा निर्यात का मूल्य है।)

एम पी से तात्पर्य आयात का यूनिट मूल्य है (अथवा आयात का मूल्य है।)

रिपोर्ट की रूपरेखा

- उद्योग का निष्पादन
 - क्षमता उपयोग
 - लाभ देयता
- व्यापार विश्लेषण
 - समग्र
 - आयात और निर्यात की स्थिति
 - एफ टी ए देश (व्यापार की वास्तविक स्थिति)
- शुल्क संरचना
 - उत्पाद, कच्ची सामग्री/संघटक
 - सामान्य एवं वरीयता शुल्क
- ई आर पी गणना जहां संभव हो
- व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता